

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

**U.P. Power Corporation Limited**

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-2691-औसं/पाकालि/2016-11(11)एफ/86 (टीसी) (वो-7)

दिनांक 29 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3464-औसं-17/पाकालि/2003-11(11) एफ०/86(टीसी) दिनांक 09.07.2003 को संशोधित करते हुए निजी (प्राईवेट) अस्पतालों को मान्यता दिये जाने हेतु केवल एकल विशिष्टता (**Single Speciality**) से सम्बन्धित आँख, हृदय रोग, एवं आर्थोपेडिक अस्पताल के तारतम्य में निम्नलिखित रोगों के एकल विशिष्टता अस्पतालों हेतु 50 पलंग वाले प्रतिबन्ध से शिथिल किया जाता है :-

1. लंग्स/रेस्पिरेटरी/पल्मोनरी इम्बोलिज्म।
2. कैंसर/आन्कोलॉजी।
3. मस्तिष्क रोग/न्यूरोलॉजी।
4. नाक, कान एवं गला/ई०एन०टी०।
5. डेण्टल क्लीनिक।
6. गैस्ट्रो-इन्ट्रोर्लॉजी।
7. दूरबीन विधि से शल्य क्रिया।
8. नेफ्रोलॉजी/यूरोलॉजी।

उक्त के साथ ही एकल विशिष्टता से सम्बन्धित चिकित्सालय को एकल विशिष्टता के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु सन्दर्भगत आदेश संख्या-4452-औसं-17/पाकालि/2002 दिनांक 09.12.2002 के अन्य सभी प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:-2691-(1) औसं/पाकालि/2016-तददिनांक:-

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
- 3- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/ (वितरण)/ (वित्त)/ (वाणिज्य)/ (कारपोरेटर प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- निदेशक (का०प्र०) ट्रांसको, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

N2

...2.../-

U.P. Power Corporation Limited

- 5- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
- 6- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जांच समिति-प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य अभियन्ता वितरण, को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 9- महाप्रबन्धक (औ0सं0)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11- समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव-प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 12- अधिशासी अभियन्ता(वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट [www.uppcl.org-Medical](http://www.uppcl.org-Medical) पर अपलोड करने हेतु।
- 13- सलाहकार (चिकित्सा) (उत्पादन निगम), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 14- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 15- कट फाइल।

Naf Mattu  
(नवनीत माथुर) 29.6.16

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी